

न्यायालय नायब तहसीलदार ...पी.लवा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का ...बालीया

अप्रार्थी - श्री राजेश्वर सिंह राजस्थान निवासी बालीया अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या ...36/2018  
निर्णय

दिनांक 4.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालीया ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत 2075 में सरहद के खसरा नम्बर 409 मी. किरम में रकबा 0.00035 हेक्टा भूमि में अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ... ने दिनांक ... को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली का सम्बन्धित दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का भूजा बालीया के खसरा नम्बर 409 किरम में रकबा 0.00035 हेक्टा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा रकबा अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण का मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12/- रुपये प्रति हेक्टा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.00035 हेक्टा भूमि के 0.0042 रुपये लगान का 50 गुणा 2/- रुपये अक्षरे 8/- रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी क्रूर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा  
उप तहसीलदार पीलवा